प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>**
**(खंड न्यायपीठ)**

कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक
माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

<u>रिट याचिका क्रमांक: 2346/2005</u>

विचार हेतु आदेश

**सही/-**
**मुख्य न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

**सही/-**
**सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

आदेश के लिए नियत: 13/12/2005

**सही/-**
**मुख्य न्यायाधीश**

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर</u>**
**(खंड न्यायपीठ)**

कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक
माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

**<u>रिट याचिका क्रमांक: 2346/2005</u>**

**याचिकाकर्ता :** मणि शंकर पांडे
पिता स्वर्गीय श्री रामखिलावन पांडे,
उम्र 34 वर्ष,
निवासी–महाराणा प्रताप नगर,
तिफरा. बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**उत्तरवादीगण :**

(1) भारत संघ
द्वारा सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।

(2) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
द्वारा सचिव, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

(3) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, मदीना मंजिल, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर (छ.ग.)।

(4) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर (छ.ग)

(5) मेसर्स आस्था सर्विस स्टेशन,
द्वारा स्वामी खगेन्द्र मनहर,
उम्र करीब 41 साल, निवासी भारतीय नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

(6) मेसर्स गुम्बर सर्विस स्टेशन (पेट्रोल पंप)
द्वारा स्वामी, सिरगिट्टी, बिलासपुर,
जिला: बिलासपुर (छ.ग.)

---

उपस्थित: श्री रवीश वर्मा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

श्री भीष्म किंगर, उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता।

श्री सचिन सिंह राजपूत, उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सह श्री सुमेश बजाज, उप शासकीय अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए।

श्री आर.एस. पटेल, उत्तरवादी क्रमांक 5 के विद्वान अधिवक्ता।

श्री पी. दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री ए.एस. कछवाहा विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 6 के लिए।

---

**आदेश**

**(13 दिसम्बर, 2005 को पारित)**

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक द्वारा पारित किया गया: –

यह मामला इस बात को सामने लाता है कि कैसे एक महान, प्रशंसनीय और सार्वजनिक न्यायोन्मुख कानूनी प्रक्रिया, जिसे हम "जनहित याचिका" कहते हैं, जिसका मूल रूप से और आरंभिक उद्देश्य पहले से प्रतिनिधित्व न किए गए समूहों और नागरिकों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, का गलत इस्तेमाल और दुरूपयोग बेईमान व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जिनके दिल या दिमाग में सार्वजनिक हित का कोई तत्व नहीं है, ताकि वे किसी व्यक्ति के खिलाफ अप्रत्यक्ष विचार और तंग करने वाले उपाय के रूप में अपना स्वार्थ साध सकें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) तथ्य सरल और संक्षेप में ये हैं कि: याचिकाकर्ता बिलासपुर शहर के महाराणा प्रताप नगर, तिफरा का स्थायी निवासी है। याचिकाकर्ता ने एक लोकहितकारी हैसियत होने का दावा करते हुए बड़े पैमाने पर जनता के हितों की रक्षा के लिए एक जनहित याचिका (जिसे आगे 'पीआईएल' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के रूप में यह रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उत्तरवादी क्र. 5 एक व्यावसायिक संस्था है जो बिलासपुर में एक ईंधन आउटलेट चला रही है और वर्तमान में वह ईंधन आउटलेट बिलासपुर शहर के व्यापार विहार में स्थित है। उत्तरवादी क्र. 5 ने ईंधन आउटलेट को मौजूदा स्थान से 1435/1, 1435/2, 1436 और 1459 वाले परिसर में स्थानांतरित करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' हेतु कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को आवेदन किया, तत्पश्यात उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा उत्तरवादी क्र. 5 को 'अनापत्ति

प्रमाण पत्र' प्रदान कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरवादी क्र. 5 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच–33023/19/99–डीओ III दिनांक 31 अगस्त 2000 में निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए ईंधन आउटलेट को स्थानांतरित कर रहा है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उत्तरवादी क्र. 5 ने 31 अगस्त 2000 के परिपत्र के तहत आवश्यक ईंधन आउटलेट को स्थानांतरित करने और एक नए स्थान पर स्थापित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, यहां दूसरे उत्तरवादी, को आवेदन नहीं किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि यदि उत्तरवादी क्र. 5 को ईंधन आउटलेट को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह सार्वजनिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए पूरी तरह से खतरनाक होगा और इससे बिलासपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 पर यात्रा करने वाले मोटर चालकों को भी असुविधा होगी, जिसके परिणामस्वरूप लगातार दुर्घटनाएं होंगी। उपरोक्त अभिकथन के आधार पर, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए प्रार्थना की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है:

(i) कि उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा खसरा क्रमांक 1435/1. 1435/2. 1436, 1459 क्षेत्रफल 18525 वर्ग फीट, सेक्टर सी, सीएसआईडीसी तिफरा – सिरगिट्टी में डीजल खुदरा आउटलेट के साथ ईंधन स्टेशन की स्थापना के लिए दिनांक 05.03.05 को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र न्याय, समानता और अच्छे विवेक के हित में निरस्त और रद्द किया जावे।

(ii) कि माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित समझे जाने वाले कोई अन्य रिट या एकाधिक रिट, आदेश या एकाधिक आदेश, निर्देश या एकाधिक निर्देश जारी करने की कृपा करें।"

(3) इस न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करते हुए दिनांक 24/06/2005 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा निर्देश दिया कि रिट याचिका के निपटारे तक खसरा संख्या 1435/1, 1435/2, 1436 और 1459 पर डीजल खुदरा आउटलेट के साथ ईंधन स्टेशन की स्थापना का कार्य जारी रह सकता है, लेकिन यह संपूर्ण रूप से उत्तरवादी क्रमांक 5 के जोखिम पर होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) सूचना की तामीली पर उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2, अर्थात् भारत संघ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, क्रमशः, उपस्थित हुए और 26/07/2005 को अपना जवाबदावा दाखिल किया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को वस्तुतः दोहराया गया और रिट याचिका का समर्थन किया गया। सूचना की तामीली पर उत्तरवादी क्र. 5 भी अपने अधिवक्ता के

माध्यम से उपस्थित हुए और 27/07/2005 को 24/06/2005 के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किये । उक्त आवेदन में उत्तरवादी क्र. 5 ने याचिकाकर्ता द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सभी तात्विक आरोपों को नकारते हुए आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता एक लोकहितकारी हैसियत नहीं है; याचिकाकर्ता ने पहले कभी जनहित याचिका के माध्यम से कोई कारण नहीं बताया; याचिकाकर्ता एक ठेकेदार है और उत्तरवादी क्र. 5 ने 22/05/1997 और 25/07/2004 के बीच याचिकाकर्ता को उधार के आधार पर पेट्रोल, डीजल और मोटरगाड़ी के तेल की आपूर्ति की और उसने रु. 1,11,735.12 पैसे के बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। जब उत्तरवादी क्र. 5 ने बकाया राशि के भुगतान की मांग की, तो याचिकाकर्ता उक्त मांग से नाराज़ हो गया और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसने जनहित

याचिका की आड़ में रिट याचिका दायर की है। यह भी कहा गया है कि उत्तरवादी क्र. 5 का मालिक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और याचिकाकर्ता बकाया राशि का भुगतान न करके न केवल उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, बल्कि उसे परेशान करने के लिए मुकदमे भी दायर कर रहा है। उत्तरवादी क्र. 5 ने यह दिखाने के लिए दस्तावेज नंबर 1 के रूप में बिल भी पेश किए हैं कि याचिकाकर्ता ने उसके स्वामित्व वाले ईंधन आउटलेट से पेट्रोल, डीजल और मोटर वाहनों का तेल का आहरण किया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और लोकहितकारी हैसियत वाला व्यक्ति है और वह सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए वकालत करता रहा है, सभी सरासर झूठे हैं और वर्तमान रिट याचिका निर्दोष उत्तरवादी क्र. 5 को नुकसान पहुंचाने के लिए एक परेशान करने वाले उपाय के रूप में दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को बहुत विस्तार से तथा काफी समय तक सुना है। आरंभ मे यह कहना आवश्यक है कि दुर्भाग्य से उत्तरवादी क्र.5 के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के साथ उनके द्वारा किए गए वित्तीय लेन–देन तथा पेट्रोल, डीजल तथा मोटरगाड़ी के तेल की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता से बकाया रु. 1,11,735.12 पैसे की राशि तथा 27/07/2005 को उनके द्वारा दायर आवेदन में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में बहस के आरंभ में हमारे ध्यान में नहीं लाया तथा यह तथ्य सुनवाई के अंतिम समय में हमारे ध्यान में लाया गया। यदि उत्तरवादी क्र. 5 के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा उनके आवेदन में बताए गए निर्विवाद तथ्यों का खुलासा किया होता, तो शायद, हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इतने लंबे समय तक नहीं सुनते। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पूरी निष्पक्षता के साथ, उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा स्थगन हटाने के लिए 27–07–2005 को दिए गए आवेदन में अपने पक्षकार के खिलाफ लगाए गए निर्विवाद तथ्यों और आरोपों को सामने लाना चाहिए था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम क्षण तक हम से वह जानकारी छुपाई।

इसके अलावा, जब हमने विद्वान अधिवक्ता को जनहित याचिका के माध्यम से यह रिट याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता के दुर्भावनापूर्ण आशय के बारे में बताया, तब भी उन्होंने मामले की गुण–दोष पर बहस करने और उसे उजागर करने में काफी समय लिया जिस कारणवश अपने मामलों की प्रतीक्षा कर रहे अन्य वकीलों की समय की हानि हुई । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका में लगाए गए निराधार आरोपों के आधार पर अपने पक्षकार की ओर से काफी समय तक जोरदार तरीके से बहस की। इस स्तर पर ही यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता ने 27/07/2005 के अपने आवेदन में उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच नहीं की है। इसके अलावा, सुनवाई के दौरान भी उन आरोपों की सत्यता पर सवाल नहीं उठाया गया।

(6) अभिलेखों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय के सम्मुख प्रथम प्रश्न है कि क्या इस न्यायालय को मामले के गुण–दोष के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में विचार करना चाहिए या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) याचिकाकर्ता द्वारा यह रिट याचिका यह दावा करते हुए किया गया है की वह एक लोकहितकारी हैसियत रखने वाला व्यक्ति है; वह जनहित के लिए जनता के मुद्दों को उठाता रहा है। रिट याचिका के कंडिका 5.1 में उसने कहा है कि "वह एक जनहितैषी नागरिक है, जो हमेशा सामुदायिक लाभ के मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है और उसने जनहित याचिका के माध्यम से आम जनता के साथ किए गए अन्याय के निवारण के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सवाल यह है कि क्या उपरोक्त कथन में सच्चाई का कोई अंश है। अब यह संतोषजनक रूप से स्थापित हो गया है कि याचिकाकर्ता एक ठेकेदार और व्यवसायी है; उसने उत्तरवादी क्र. 5 से उधार पर पेट्रोल, डीजल और मोटरगाड़ी का तेल लिया है और उसे इसकी लागत के लिए उत्तरवादी क्र. 5 को रु. 1,11,735.12 पैसे का भुगतान करना है। यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर की गई एकमात्र रिट याचिका है और इससे पहले उसने बड़े पैमाने पर जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जनहित याचिका के रूप

में कभी कोई रिट याचिका दायर नहीं किया है । क्या हमें यह कहना चाहिए कि यह जनहित याचिका याचिकाकर्ता का पहला प्रयास है; क्या हमें यह भी कहना चाहिए कि यह जनहित याचिका याचिकाकर्ता का अंतिम प्रयास है, यदि वही निज स्वार्थ व कारण जिसने याचिकाकर्ता को यह जनहित याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, भविष्य की जनहित याचिकाओं का भी आधार बनेगा तो न्यायालय को याचिकाकर्ता की ओर से ऐसे किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए।

(8) जनहित याचिका अमरीका में उत्पन्न और विकसित एक महत्वपूर्ण विधिक तंत्र है। फोर्ड फाउंडेशन द्वारा अमेरिका में स्थापित जनहित विधिक परिषद ने अपनी रिपोर्ट (1976) के पृष्ठ 6–7 में जनहित याचिका को इस प्रकार परिभाषित किया है:

> "जनहित विधिक वह नाम है जो हाल ही में उन समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के प्रयासों को दिया गया है जिनका पहले प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इस तरह के प्रयास इस मान्यता के साथ किए गए हैं कि कानूनी सेवाओं के लिए सामान्य विधिक प्रावधान के तहत महत्वपूर्ण वर्गों और महत्वपूर्ण हितों को ऐसी सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है। ऐसे समूहों और हितों में गरीब, पर्यावरणविद, उपभोक्ता, नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक और अन्य शामिल हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जनहित याचिका कार्यक्रम नीति–उन्मुख मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां निर्णय से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे या किसी प्रमुख विधिक सुधार उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके परिणाम विशेष वादी से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जनहित याचिका कार्यक्रम अविकसित समूहों को तत्काल चिंता व समस्याओं के मामलों पर कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए रचित किए गए हैं, जो सीधे तौर पर शामिल पक्षों के लिए हैं। भारत में जनहित याचिका का उपयोग जेलों में विचाराधीन कैदियों के लिए विभिन्न प्रकार की राहत, महिलाओं के लिए संरक्षण गृहों में हिरासत की स्थितियों में सुधार, प्रतिपेषण गृह के कैदियों की चिकित्सा जांच, महिलाओं की

तस्करी पर रोक और उनके पीड़ितों के लिए राहत, बंधुआ मजदूरों की रिहाई, अन्य श्रम कानूनों को लागू करना, जैसे कि श्रमिकों को मजदूरी का पूरा और सीधा भुगतान या निर्माण कार्य में बच्चों के रोजगार पर रोक, लाइसेंसधारी रिक्शा चालकों द्वारा साइकिल रिक्शा का अधिग्रहण, पुलिस लॉक–अप में महिला कैदियों को हिरासत में हिंसा के खिलाफ राहत, पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता के प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए किया गया है। इस तरह के मुकदमों में यह परिकल्पना की जाती है कि किसी व्यक्ति या किसी समुदाय या अनिश्चित वर्ग के व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रशासनिक गलती के खिलाफ अदालती , जो उस समुदाय या वर्ग के सदस्यों को दूर से या समान रूप से प्रभावित करती है; और यह कि किसी लोक हित के प्रति जागरूक नागरिक या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित निकाय द्वारा प्रशासनिक गलतियों के खिलाफ व्यक्ति, समूह या यहां तक कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयीन , भले ही न्यायालयीन करने वाले व्यक्ति या निकाय को कोई हानि न पहुंची हो। जनहित याचिकाओं को उचित ठहराने के लिए कई कारण बताए गए हैं; यह सार्वजनिक गलतियों के निवारण का एक साधन प्रदान करता है, जिसका पारंपरिक नियमों के तहत समाधान नहीं किया गया है, जैसे की ***लोकस स्टैन्डी*** (सुने जाने का अधिकार); प्रतिकूल प्रशासनिक से पीड़ित व्यक्ति या समूह गरीबी, अज्ञानता, निरक्षरता, भय और अन्य प्रकार की सामाजिक–आर्थिक अक्षमताओं के कारण अपने हितों की रक्षा के लिए मुकदमा करने की स्थिति में नहीं होते है । **एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ** (एआईआर 1982 एससी 149) में जस्टिस भगवती ने बताया कि व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्य, व्यक्तियों के वर्गों या समूहों के अति–व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक अधिकारों और कर्तव्यों को स्थान दे रहे हैं।

(9) जनहित याचिका के संबंध में दो मुख्य प्रतिपादो का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से होता है। एस.पी. गुप्ता के मामले में (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"…..जब भी किसी सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक नुकसान का कारण राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किया गया एक कार्य या चूक होती है जो संविधान या विधिक के खिलाफ होती है, तो जनता का कोई भी सदस्य जो लोकहितकारी कार्य करता हो और जो पास पर्याप्त रुचि रखता हो, ऐसे सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक नुकसान के निवारण के लिए कर सकता है।"

आगे सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (AIR 1982 SC 1473) में यह अवलोकन किया है कि :

"…..जहाँ एक व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को कानूनी क्षति पहुँचाई जाती है या ऐसा कृत्य किया जाता है जो विधिक रूप से गलत है, गरीबी, विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित होने के कारण से वह व्यक्ति अदालत में न्यायिक समाधान के लिए पहुँचने में असमर्थ हो, उस स्थिति में कोई भी सार्वजनिक सदस्य जो सद्भावपूर्ण आशय से और किसी बाहरी प्रेरणा के बिना कार्य कर रहा हो, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा भोगी गई कानूनी क्षति या गलत के न्यायिक समाधान के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों प्रतिपादो में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सशक्त और संक्षिप्त चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति अदालत में सार्वजनिक गलत या सार्वजनिक क्षति से निपटारे के लिए आता है, उसके पास कार्यवाही करने में पर्याप्त रुचि होनी चाहिए और वह सद्भावपूर्ण आशय से कार्य कर रहा है, न कि व्यक्तिगत लाभ, निजी लाभ, राजनीतिक प्रेरणा या अन्य अप्रत्यक्ष प्रतिफल के लिए।

(10) इस मामले में न्यायालय को जनहित याचिकाओं को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की प्रचुरता में बहुत कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जनहित याचिकाओं से निपटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय, इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों ने निर्णयों की एक श्रृंखला में काफी विस्तार से प्रश्नों पर विचार किया, जैसे कि, किसे लोकहितकारी हैसियत माना जा सकता है, किस प्रकार

के विवाद को संवैधानिक न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाओं के रूप में लाया जा सकता है, जनहित याचिका पर विचार करने से पहले न्यायालयों द्वारा कैसे सावधानी बरती जानी चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर आवेदन को एक मुखौटा या जनहित याचिका की आड़ में स्वीकार करने के कैसे खतरे है। उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निम्न है – एमसी मेहता बनाम भारत संघ {(1998) 9 एससीसी 589}: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य {(1997) 6 एससीसी 241}; एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवगौड़ा {(1996) 6 SCC 734}; जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी {AIR 1993 SC 892}, अब्दुल रहमान अन्तुले और अन्य बनाम आर.एस. नायक और अन्य {(1992) 1 SCC 225}; किशन पटनायक बनाम ओडिशा राज्य {1989 (1) SCALE 32}: सचिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य {1987 (2) SCC 295 = AIR 1987 SC 1109} ओल्गा टेलिस बनाम बंबई महानगर निगम {(1985) 3 एससीसी 545}: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम छात्र के अभिभावक मेडिकल कॉलेज शिमला और अन्य {(1985) 3 एससीसी 169}; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ {MR 1984 SC 802}; पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त); एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1 पूर्वोक्त): उर्वरक निगम कागार संघ, सिंदरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य {(1981) 1 एससीसी 568};} हुसैनाराखातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य {AIR 1979 SC 1360}; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन {AIR 1978 SC 1675}; एम.एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य {AIR 1978 SC 548} और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय, के. हनुमंथ राव बनाम प्रिंसिपल सब–जज {1997 (4) ALT 444 (DB)}; के. प्रभाकर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य {1998 (2) ALT 1 (DB)}; बी. किस्तैया बनाम भारत सरकार {1998 (4) ALT 738 (DB)}.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इन निर्णयो से जो कुछ एकत्र किया जा सकता है, उसे संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: सामान्यतः व्यक्ति जो आहत और सीधे प्रभावित होता है, वह स्वयं ही अनुतोष की मांग करेगा, जब तक कि वह सामाजिक–आर्थिक अक्षमताओं के कारण ऐसा करने में असमर्थ न

हो, और केवल इस स्थिति में विधिक किसी और को उसकी ओर से अनुतोष की मांग करने की अनुमति देता है। जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य संविधान या विधिक के उन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना है, जो समुदाय या वंचित समूहों और व्यक्तियों या सार्वजनिक हित के लिए सर्वोत्तम हो सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को, जो सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा हो और सार्वजनिक क्षति के लिए न्यायिक निवारण के लिए करने में वास्तविक रुचि रखता हो, न्यायिक मशीनरी को रोमन विधिक के ***एक्टियो पॉपुलरिस*** (विधिक जो किसी आम जनता के हित की रक्षा के लिए जनता के किसी सदस्य द्वारा की जा सकती है, बिना व्यक्तिगत चोट या विशेष हित को प्रदर्शित करते हुए।) की तरह गति में लाने की अनुमति दी जाती है, जिसके तहत नागरिक सार्वजनिक अपकृत्य के संबंध में ऐसी कर सकता है। व्यक्तिगत विवाद एक जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकते और इस संबंध में कोई भी प्रयास न्यायलय द्वारा रोका जाना चाहिए, और यह केवल उन स्पष्ट मामलों में है जिनमें समुदाय के व्यापक अधिकारों पर सामान्य प्रभाव पड़ता है या लोगों के विभिन्न वर्गों पर, अदालत अपनी सहायता प्रदान करेगी और एक जनहित याचिका को स्वीकार करेगी ताकि सामाजिक या सामान्य नुकसान से बचा जा सके, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए। हालाँकि, केवल वही व्यक्ति, जो सद्भावपूर्ण आशय से कार्य कर रहा है और जनहित याचिका की कार्यवाही में पर्याप्त रुचि रखते है, के पास ही ***लोकस स्टैन्डी*** (सुने जाने का अधिकार) है व केवल ऐसा व्यक्ति ही अदालत में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, उनके मौलिक अधिकारों या अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित होने पर और प्रशासन के खिलाफ सार्वजनिक विधिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए याचिका कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, जो व्यक्तिगत लाभ, निजी लाभ, राजनीतिक उद्देश्य या किसी भी अप्रत्यक्ष विचार के लिए कार्य कर रहा है, उसका कोई ***लोकस स्टैन्डी*** (सुने जाने का अधिकार) नहीं है। इसी प्रकार, किसी व्यक्तिगत शिकायत को सही ठहराने के लिए अदालत के समक्ष जनहित याचिका के रंग या आडंबर के तहत लाए गए एक तंग करने वाले याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए। अदालत को अपने प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुमति ऐसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, जो केवल अवरोध उत्पन्न करने वाला हो, हस्तक्षेप करने वाला हो, बाधा डालने वाला हो या कोई राह चलता व्यक्ति हो जिनका मन या दिल में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक हित नहीं होता, सिवाय व्यक्तिगत लाभ, निजी लाभ या राजनीतिक लाभ के लिए, चाहे वह स्वयं के लिए हो या दूसरों के प्रयोजक के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा या सहायक विचार के लिए या प्रचार प्राप्त करने के लिए।

(12) यदि उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाए, तो क्या यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता एक लोकहितकारी हैसियत रखता हैं? उत्तर सशक्त 'नहीं' होना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने में पूरी तरह से सद्भाव की कमी है। दूसरी ओर, यह संतोषजनक रूप से स्थापित किया गया है कि यह रिट याचिका एक जनहित याचिका के भेष में एक परेशान करने वाले कदम के रूप में दायर की गई है, जो कि उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा उन्हें बकाया राशि के रूप में 1,11,735.12 रुपये का भुगतान करने की मांग से परेशान है, जो कि उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा प्रदान किए गए पेट्रोल, डीजल और मोटर गाड़ी तेलों का मूल्य है। इस मामले के दृष्टिकोण में, हम इस पर विचार करने के बाद यह मानते हैं कि यह रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में स्वीकार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने विधिक  की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है ताकि अप्रत्यक्ष रूप से अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सके, अर्थात् उत्तरवादी क्र. 5 को अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन करना और इस प्रकार उन्हें हानि पहुँचाना।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) समापन से पहले संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका के आड़ में याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय में याचिका दायर करने की जिम्मेदारी के बारे में एक–दो शब्द । यह कहना आवश्यक है कि न्यायालय का समय सार्वजनिक समय है; यह न तो न्यायाधीशों का समय है और न ही किसी मुवक्किल या उसके अधिवक्ता का समय; जनहित का समय न्यायिक और आर्थिक रूप से बिताया जाना चाहिए; ऐसे नियम की अत्यंत  आवश्यकता है, विशेष रूप से

आज विधिक  की अदालतों और अन्य न्यायिक तथा न्यायिककल्प मंचों में मामलों की बढ़ती अपीलों के संदर्भ में। न्यायालय का समय बेईमान पक्षकारो या दुसरो के मामलो में हस्तक्षेप करने वाले लोगों द्वारा जनहित याचिकाओं के रूप में दुरुपयोग या अनुचित उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह भी बार के विद्वान सदस्यों पर एक जिम्मेदारी है कि वे जनहित के मामले को जनहित याचिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ाएं। अधिवक्ता जनहित याचिका में एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका निभाते हैं। जनहित याचिका के मामले में अदालत के प्रति उनकी कर्तव्य और जिम्मेदारी सामान्य मामलों की तुलना में अधिक होती है। वकीलों की प्रस्तुति और फोरेंसिक कौशल तथा शिल्प न्यायिक प्रक्रियाओं का संस्थागत सुधार के औजारों के रूप में उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए केंद्रित  होते हैं। अधिवक्ता न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है। विधिक बंधुता और न्यायपालिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। न्यायालय यह अपेक्षा करने में गलत नहीं होगा कि प्रत्येक अधिवक्ता स्वयं को जिम्मेदार तरीके से संचालित करेगा और अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में न्यायालय की उचित सहायता करेगा। वे कार्य करते हैं, दलील देते हैं और पक्षकारो के पक्ष में वकालत करते हैं, लेकिन न्यायालय के प्रति उनका कर्तव्य अपने पक्षकरो की सेवा करने से कहीं अधिक है। यह कहा गया है कि प्रत्येक अधिवक्ता ***एमिकस क्यूरी*** (न्यायमित्र) है; उसकी पहली निष्ठा न्यायालय के प्रति होनी चाहिए न कि अपने पक्षकार के प्रति। न्यायालय का समय न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश के अहं की संतुष्टि के लिए नहीं, क्योंकि वह पूरे विधिक  को सही ढंग से जानते है, न्यायालय को संबोधित मुद्दे पर दूसरी राय नहीं दी जा सकती और न ही किसी पक्ष के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ता को संतुष्ट करने के लिए है जो किसी पक्ष की ओर से उपस्थित होते है और कानूनी आधार में इसकी वैधता के बावजूद कोई दलील या मुद्दा रख सकते है, न ही अपने अधिवक्ता के पीछे बैठे पक्षकार को खुश करने के लिए है कि उसके अधिवक्ता ने उसकी ओर से मामले पर शानदार और उसकी संतुष्टि के लिए बहस किये, विधि न्यायालय में न्यायिक विचार–विमर्श गंभीर कार्य है, और उन्हें संस्था के दोनों भागीदारों से जिम्मेदार और रचनात्मक सहयोग प्राप्त होना चाहिए, और दोनों को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्याय का त्याग किए बिना न्यायालय के कीमती समय को बचाने के लिए अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करना चाहिए संवैधानिक न्यायालयों में ऐसा तरीका अनिवार्य आवश्यकता बन गया है, जहां मामलों का संचय चिंताजनक है और साथ ही लंबे समय से लंबित है। न्यायालय के समय का फलदायी प्रबंधन समय की मांग है और इसे बार और बेंच के बीच रचनात्मक सहयोग के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

(14) समय आ गया है कि संवैधानिक न्यायालय न केवल बेईमान और अनुचित जनहित याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर खत्म करें बल्कि ऐसी जनहित याचिकाओं के प्रस्तावकों को ठोस रूप से जवाबदेह भी बनाएं। निर्णय में टिप्पणियों के माध्यम से न्यायालयों द्वारा ऐसी जनहित याचिकाओं को केवल अस्वीकार करने से लंबे समय में सार्वजनिक न्याय में मदद नहीं मिलेगी। राज्य न्यायिक प्रक्रियाओं के तंत्र को प्रदान करने, बनाए रखने और संचालित करने के लिए सीमित संसाधनों में से भारी मात्रा में धन खर्च करता है। यदि न्यायालय पाता है कि जनहित याचिका की आड़ में किसी व्यक्ति द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जनहित की सेवा के लिए उसे उसके मुकदमेबाजी के विलासिता के लिए जवाबदेह बनाना आवश्यक है। जनहित याचिका में जनहित को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अनुकरणीय लागत लगाकर इसे हासिल किया जा सकता है। किसी अनुचित जनहित याचिका का आनंद न्यायालय शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान कर नहीं मिल सकता, जो राज्य द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत की तुलना में बहुत कम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) जनता दल बनाम एच.एस. चौधरी (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की आड़ में शुरू की गई झूठी कार्यवाही के कारण न्यायालय का समय बर्बाद करने पर अपनी पूरी नाराजगी और अप्रसन्नता निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त की:

> "यह देखना निराशाजनक है कि न्यायालयों में शुरू की गई ऐसी झूठी कार्यवाही के कारण अनगिनत दिन बर्बाद हो जाते हैं, जो समय अन्यथा वास्तविक

वादियों के मामलों के निपटारे में लगाया जा सकता था। हालाँकि हम जनहित याचिका की नई आविष्कृत अवधारणा को बढ़ावा देने और विकसित करने में किसी से पीछे नहीं हैं और हम गरीबों, अज्ञानियों, उत्पीड़ितों और ज़रूरतमंदों के प्रति अपनी सहानुभूति का हाथ बढ़ाते हैं जिनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और जिनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता और उनकी सुनवाई नहीं होती; तथापि हम अपनी राय व्यक्त करने से बच नहीं सकते कि करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति से जुड़े दीवानी मामलों और आपराधिक मामलों से संबंधित वैध शिकायतों वाले वास्तविक वादी, जिनमें मृत्युदंड पाए लोगों को अनकही व्यथा और आजीवन कारावास की सजा पाए लोगों को लंबे समय तक कारावास में रखा जाता है, सेवा मामलों में अनावश्यक देरी से पीड़ित लोग, कर मामलों के निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे सरकारी या निजी व्यक्ति जिनमें भारी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व या कर राशि का अनधिकृत संग्रह बंद रहता है, हिरासत आदेशों से अपनी रिहाई की उम्मीद कर रहे बंदी, आदि, आदि – सभी न्यायालयों में जाने और अपनी शिकायतों के निवारण की आशा के लिए वर्षों से टेढ़ी–लंबी कतार में खड़े हैं, ऐसा व्यक्ति जो केवल अवरोध उत्पन्न करने वाला हो, हस्तक्षेप करने वाला हो, बाधा डालने वाला हो या कोई राह चलता व्यक्ति हो जिनका व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के अलावा बिल्कुल भी कोई सार्वजनिक हित नहीं है, चाहे वे स्वयं के लिए हों या दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा से या प्रचार की चकाचौंध के लिए, जनहित याचिका का मुखौटा पहनकर अपने चेहरे को ढंकते हुए कतार को तोड़ते हैं, तुच्छ याचिकाएँ दायर कर न्यायालय का बहुमूल्य समय आपराधिक रूप से बर्बाद किया जा रहा है और जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय के दरवाजे के बाहर खड़ी कतार कभी नहीं हटती, यह जो विकट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थिति वास्तविक वादियों के मन में निराशा पैदा करती है और परिणामस्वरूप वे हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में विश्वास खो देते हैं।"

(16) एक व्यक्ति जो अपने दृष्टिकोण पर अड़ा रहना चाहता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह जिस बिंदु पर न्यायाधीश के समक्ष दलीले पेश कर रहा है वे न्यायालय की बृहद न्यायपीठों के बाध्यकारी निर्णयों से आधारहीन हो चुकी है और इस प्रक्रिया में न्यायालय का समय बर्बाद करता है, उसे जनता के समय की बर्बादी की कीमत चुकानी होगी, कम से कम नाममात्र के लिए, यदि पूरी तरह से नहीं। ऐसा तरीका न केवल अनुचित और कष्टप्रद जनहित याचिकाओं पर अंकुश लगाने के लिए बल्कि जनता के साथ न्याय करने के लिए भी 'आवश्यक' है। यहां एस.पी. आनंद बनाम एच.डी. देवेगौड़ा (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी उद्धृत करना उपयुक्त होगा:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"...यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को भी लोकस स्टैन्डी (सुने जाने का अधिकार) के नियम की छूट का अधिकार नहीं है और न्यायालय को इसकी अनुमति तभी देनी चाहिए जब वह संतुष्ट हो कि कार्यवाही को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौपा जा रहा है जो वास्तव में सार्वजनिक हित में चिंतित है और अन्य बाहरी विचारों से प्रेरित नहीं है। इसी तरह न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए भी सावधान रहना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा न किया जाए जो अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहना चाहता है और न्यायालय के पिछले निर्णयों को समापन बिंदु के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिकाओं की एक श्रृंखला दायर करके इसे लगभग हठ के चरम बिंदु तक ले जाना चाहता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने याचिकाकर्ता का ध्यान इस न्यायालय के पिछले निर्णयों की ओर आकर्षित किया, तो उन्होंने उन्हें दरकिनार कर दिया, उनसे निपटने की इच्छा जताए

बिना और उन पर दोबारा गौर किए बिना जैसे की समय बीतने के साथ–साथ वे पुराने और अप्रासंगिक हो गए और इस दिखावटी दलील पर उनकी शुद्धता को चुनौती दी कि उन्हें पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो उसके पास निर्णयों की शुद्धता के बारे में कोई जवाब नहीं था। इस न्यायालय के सुविचारित निर्णयों के प्रति इस तरह का लापरवाही भरा दृष्टिकोण विधिक के अच्छे जानकार व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। । इसके बजाय, जैसा कि पहले बताया गया है, उन्होंने ऐसे निर्णयों का उल्लेख किया जिनका इस प्रश्न से कोई लेना–देना नहीं है, जैसे कि गोहत्या के मामलों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान नागरिक संहिता आदि पर निर्णय। हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि जनहित याचिका के इस महत्वपूर्ण हथियार का अंधाधुंध उपयोग स्वयं हथियार को कुंद कर देगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) आवश्यक विचार–विमर्श के पश्चात्, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान रिट याचिका सद्भावपूर्ण आशय से दायर की गई जनहित याचिका नहीं है तथा इसे याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका की आड़ में अप्रत्यक्ष प्रतिफल के लिए तथा उत्तरवादी क्र. 5 को परेशान करने तथा उससे बदला लेने के लिए एक तंग करने वाला उपाय के रूप में दायर किया गया है।

(18) परिणामस्वरूप, तथा उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका को 10,000/– (केवल दस हजार रुपये) की अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाता है तथा इसे आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति दो सप्ताह के बाद रिपोर्ट देगी कि याचिकाकर्ता ने निर्देश का अनुपालन किया है या नहीं।

(19) इस मामले को निराकृत करने से पहले हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि उत्तरवादी क्र. 5 द्वारा ईंधन आउटलेट को मौजूदा स्थान से नए स्थान पर स्थानांतरित करना किसी भी मानदंड या विनियमन का उल्लंघन किया जाता है, तो वैधानिक प्राधिकारियों के लिए उत्तरवादी क्र. 5 के खिलाफ विधिक के अनुसार उचित की जा सकती है और यह आदेश उनके आड़े नहीं आएगा।

**सही/–**
**मुख्य न्यायाधीश**

**सही/–**
**सतीश के. अग्निहोत्री**
**न्यायाधीश**

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Shobhit Banerjee